



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 श्रावण 1946 (श10)
(सं0 पटना 723) पटना, सोमवार, 5 अगस्त 2024

श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना
25 जुलाई 2024

एस0 ओ0-311 दिनांक-5 अगस्त 2024—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 4 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल सभी श्रम अधीक्षक, सभी श्रम अधीक्षक अधिनियम, सभी सहायक श्रमायुक्त, सभी उप श्रमायुक्त, सभी संयुक्त श्रमायुक्त, अपर श्रमायुक्त एवं श्रमायुक्त, बिहार को संराधन पदाधिकारी नियुक्त करते हैं।

- 2) एतद् संबंधी पूर्व में निर्गत सभी अधिसूचनाएँ निरस्त की जाती हैं।
- 3) यह सम्पूर्ण बिहार में अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।
- 4) सभी संबंधितों को निदेश दिया जाता है कि क्षेत्राधिकार वाले संराधन पदाधिकारियों को अभिलेख उपलब्ध करावें।

(सं० 01/WC-1009/2016, श्र०सं०-3959)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजीव रंजन,
सरकार के संयुक्त सचिव।

25 जुलाई 2024

एस0 ओ0-312, एस0 ओ0 311 दिनांक 5 अगस्त 2024 का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के (खण्ड) 3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

(सं० 01/ WC-1009/2016, श्र०सं०-3960)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजीव रंजन,
सरकार के संयुक्त सचिव।

The 25th July 2024

S.O. 311 Dated 5 August 2024—In exercise of the powers conferred under Section-4 of the Industrial Disputes Act, 1947 the Governor of Bihar is pleased to appoint All Labour Superintendent, All Labour Superintendent (Act), All Assistant Labour Commissioner, All Deputy Labour commissioner, Additional Labour commissioner and Labour Commissioner, Bihar as Conciliation Officers.

- 2) Previously issued notifications in this regard are hereby repealed.
- 3) It shall come in to force from the date of its publication in the official Gazette.
- 4) All concerned are directed to transmit the document related with the Jurisdictional Conciliation Officers.

(No.- 01/WC-1009/2016, L.R.-3959)
By The order of the Governor of Bihar,
Rajeev Ranjan,
Joint Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 723-571+200-डी0टी0पी0
Website: <http://egazette.bih.nic.in>